मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०१७

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने तथा भूतलक्षी प्रभाव से इसका विधिमान्यकरण करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ है.

धारा १५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा १५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) राज्य सरकार एक संभाग में एक या अधिक अपर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी.".

विधिमान्यकरण.

३. धारा २ द्वारा मूल अधिनियम में किए गए संशोधन १ जुलाई, २०१७ से किए गए समझे जाएंगे और तद्नुसार उक्त तारीख को या उसके पश्चात् और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कार्रवाई या बात किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, सभी प्रयोजनों के लिये उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी रूप से की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ऐसा अनुभव किया गया है कि कतिपय राजस्व संभागों में लंबित राजस्व मामलों का निपटारा एक अपर आयुक्त द्वारा संभव नहीं था, अतएव, इस प्रयोजन हेतु एक से अधिक अपर आयुक्त नियुक्त किए गए थे. अतएव, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १५ में भूतलक्षी रूप से इसके विधिमान्यकरण द्वारा भी यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २८ नवम्बर, २०१७

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) से उद्धरण.

* * * * *

धारा १५. अपर आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति.— (१) राज्य सरकार किसी एक संभाग में या दो या दो से अधिक संभागों में एक अपर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी.

* * * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.